

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 91/2019

निर्णय दिनांक - 31.05.2019

धनराज पिता नानालाल धाकड़, आयु 70 साल, निवासी मण्डावली, तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. बगदीराम पिता मांगीलाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. सीताराम पिता वरदा जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. हरीकिशन पिता परथा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. उदयलाल पिता परथा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
5. छगनलाल पिता नन्दा जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
6. फतेहसिंह पिता उँकारसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मण्डावली पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 98 की आराजी नं0 170 रकबा 1.1400 हैक्टेयर आराजी नं0 171 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 172 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 800/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मण्डावली पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 98 की आराजी नं0 170 रकबा 1.1400 हैक्टेयर आराजी नं0 171 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 172 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

